बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण

Bihar Local Area Development Agency

विभिन्न प्रकार की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएँ विशेषकर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य स्थानीय योजनाओं के कार्यान्वयन की गति में तीव्रता लाने के लिए तथा सुगमता के लिए बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के गठन योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 2391 दिनांक 25.06.2014 से "बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण" के गठन की स्वीकृति दी गई है। निबंधन महानिरीक्षक, बिहार के पत्रांक 474 दिनांक 04.07.2014 से अभिकरण सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–21, 1860 के अधीन निबंधित है। नियमावली के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अभिकरण पर योजना एवं विकास विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण है।

अभिकरण का कार्यालय, पुरानी सचिवालय स्थित, पटना, बिहार में है।

बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के लक्ष्य एवं उदेश्य संक्षेप में इस प्रकार हैः–

1. विभिन्न प्रकार के स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएँ खासकर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं का परिरूप तैयार करने, प्राक्कलन निर्माण तथा इनके कार्यान्वयन में तकनीकी संहायता प्रदान करना।
2. विभिन्न बसावटों, गाँवो, पंचायतों, प्रखण्डों, जिलों तथा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों का स्थानीय क्षेत्र योजना का निर्माण।

बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा कार्य

1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुमान्यता की राशि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंताओं को उनकी मांग के अनुरूप उपलब्ध कराई जाती है।
2. मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता भत्ता के लाभुकों को बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण द्वारा राशि हस्तांरित किया जाता है।